

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या- स्था0-42/94 परि0- 1967 / पटना, दिनांक- 25/04/2016

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (एक्ट नम्बर-59 ऑफ 1988) की धारा-68 की उपधारा (1) सह-पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अधिकारियों को उपर्युक्त धारा की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में अगले आदेश तक के लिए नियुक्त करते हैं-

1. सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार - अध्यक्ष
 2. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार - सदस्य सचिव
 3. श्री अमरेन्द्र कुमार, - गैर सरकारी सदस्य
पिता-श्री आर0 डी0 राय,
C/o- श्री ब्रह्मदेव राय,
दिग्गी खुर्द, हाजीपुर,
जिला-वैशाली, बिहार ।
2. एतद् सम्बन्धी पूर्व की सभी अधिसूचनाएँ निरस्त की जाती हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- स्था0-42/94 परि0- 1967 / पटना, दिनांक- 25/04/2016

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा - उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (अनुलग्नक सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि गजट की 100 प्रतियाँ कार्यालय व्यवहारार्थ कृपया प्रेषित की जाय ।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- स्था0-42/94 परि0- 1967 / पटना, दिनांक- 25/04/2016

प्रतिलिपि: श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता-श्री आर0 डी0 राय, C/o- श्री ब्रह्मदेव राय, दिग्गी खुर्द, हाजीपुर, जिला-वैशाली, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापक-^{5/24} स्था0-42/94 परि0- 1967 / पटना, दिनांक- 25/04/2016

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सचिव राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक/ रक्षित संचिका/स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस अधिसूचना की प्रति सदस्य राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के समक्ष उपस्थापित करने की कृपा करें ।

(Signature)

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।